

ई0 फाईल संख्या-43713

प्रेषक,

श्याम सिंह,
 संयुक्त सचिव,
 उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
 लोक निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

प्रमुख अभियन्ता

लो.नि.वि. विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., हल्द्वानी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित विस्तृत आगणनों, जिसमें मोटर मार्गों की कुल लम्बाई 6.746 कि०मी० एवं लागत ₹ 324.85 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 323.33 लाख (₹ तीन करोड़ तेईस लाख तैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 06 कार्यों हेतु कुल ₹ 060. लाख (₹ साठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख ₹० में)	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत खमरिया लिंक मार्ग से महराया तक सम्पर्क मार्ग का प्रीमिक्स कॉरपेट द्वारा पुनः निर्माण एवं सुदृढीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन)	1.700	52.83	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत बडौरी से चिकोनी तक मार्ग का प्रीमिक्स कॉरपेट द्वारा पुनः निर्माण एवं सुदृढीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन)	1.50	45.87	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत रहपुरा से सैजना लिंक मार्ग का प्रीमिक्स कॉरपेट द्वारा पुनः निर्माण एवं सुदृढीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन)	0.525	14.31	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत ग्राम भंगा में प्राईमरी स्कूल से मन्दिर तक पी०सी० द्वारा मार्ग का नव निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)	0.700	79.24	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा ग्राम में शान्तिपुरी 3 से 2 तक मार्ग	0.821	36.41	0.10

2023

	के चैनेज-0.000 किमी० से चैनेज-0.300 किमी० का पुनः निर्माण एवं चैनेज-0.300 से चैनेज-0.300 से चैनेज-0.821 किमी० तक नव निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)			
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा के ग्राम भगवानपुर में महेन्द्र सिंह के घर से कमल फुलारा के घर तक मार्ग के चैनेज 0.000 किमी० से चैनेज 1.00 किमी० तक पुनः निर्माण एवं चैनेज-1.00 से चैनेज -1.500 किमी० तक नव निर्माण का कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.50	94.67	0.10
	योग—	6.746	323.33	0.60

(रुपये साठ हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए बसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- क्रमांक 3 पर प्रस्तावित मार्ग मण्डी समिति के मार्ग हैं। मार्ग की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के दृष्टिकोण से मार्ग निर्माण के उपरान्त मार्ग को मण्डी समिति के सक्षम स्तर पर हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही मार्ग का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भी सक्षम स्तर पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करना आवश्यक प्रतीत होता है।
- क्रमांक 4, 5 एवं 6 पर प्रस्तावित मार्ग ग्राम पंचायत के मार्ग हैं। मार्ग की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के दृष्टिकोण से मार्ग निर्माण के उपरान्त मार्ग को ग्राम पंचायत के सक्षम स्तर पर हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही मार्ग का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भी सक्षम स्तर पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करना आवश्यक प्रतीत होता है।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/142057/2023
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23080220033
 आवंटन पत्र दिनांक-10-AUG-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़के
 03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम						पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग			
53-वृहद निर्माण						3420000	60000	0	3480000			
योग						3420000	60000	0	3480000			

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.60,000 (Rupees Sixty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 1043 / 20 याता0'क' / 2023

दिनांक- 21.08.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
 देहरादून